"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2009—चैत्र 27, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री एस. के. तिवारी, भा. प्र. से. (1993), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/8/2007/1/2.—श्री के. आर. पिस्दा, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को दिनांक 26-03-2009 से 04-04-2009 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-04-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिस्दा आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पिस्दा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिस्दा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2009

क्र. 2547/डी-935/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 166/गोप./2009/II-2-17/2001 दिनांक 31-03-2009 के परिपेक्ष्य में श्री अशोक कुमार निमोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग की सेवाएं राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन के अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक परिवहन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक-604/एफ 4-72/32/स्था./2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 2 (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी. एल. वर्मा, प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को कार्य ग्रहण करने की तिथि से नीचे दर्शाये गये क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

क्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिले)
1.	सक्षम प्राधिकारी श्री डी. एल. वर्मा, प्रशासकीय अधिकारी.	रायपुर, जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, कोरिया, सरगुजा.

Raipur, the 30th March 2009

No. F 4-72/32/2007.—The State Government authorizes in exercise of powers conferred vide Section 2 (7) of Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Act, 1972, Shri D. L. Verma, Administrative Officer, Chhattisgarh Housing Board, to discharge duties as Competent Authority for the jurisdiction specified asunder, effective from the date of their assuming charge :—

Sl. No.	Authorized Officer	Jurisdiction (Revenue Districts)
1.	Competent Authority, Shri D. L. Verma, Administrative Officer.	Raipur, Jagdalpur, Kanker, Dantewada, Durg, Rajnandgaon, Kawardha, Dhamtari, Mahasamund, Bilaspur, Raigarh, Jashpur, Korba, Janjgir-Champa, Korea, Sarguja.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

क्रमांक एफ-13-11/गृह/दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2008 है.

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची चार कालम (6) में यथाविनिर्दिष्ट गठित चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियमों 11 के अंतर्गत भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ में अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हो, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भरती का तरीका :—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं या पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खंड (क) एवं खंड (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवा के उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट भर्ती के उन तरीकों से भिन्न अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किया जाये.

(5) छत्तीसगढ़ लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू रहेंगे.

7. सेवा में नियुक्ति :— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें :—** चयन/परीक्षा हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) **आयु :—**

(क) परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अपनी आयु के अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विहित आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों की जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थाई पद धारण कर रहा हो, तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छ: मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर सेवारत रहा हो, और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त किया गया गया हो.

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर, या

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण होने जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो.

(चार) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है.

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

टीप — नियम 8 (एक) (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पात्र माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा में चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) छत्तीसगढ़ इन्टर कास्ट मैरिज इनसेन्टीव स्कीम फॉर अनट्चएबिलिटी इराडिकेशन रूल, 1984 (छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1984) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(झ) नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शिथिल की जायेगी, किन्तु इस मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ञ) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की छूट दी जायेगी.

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(ठ) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं :—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जो अनुसूची-तीन में दर्शायी गई है.

(3) **शुल्क :—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता :—** अभ्यर्थी को ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, समिति द्वारा परीक्षा में चयन हेतु उसे निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :—** परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. **साक्षात्कार/चयन परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :—**

(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन, प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अंतरालों से की जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी करने के आधार पर परीक्षा चयन समिति द्वारा ली जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा.

(3) (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अधीन महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यथियों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि सीधी भर्ती हेतु समस्त आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो उपरोक्त मामले में लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुभव को शिथिल किया जा सकेगा.

11. (2) **साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :—**

(एक) भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से की जावेगी जैसा कि चयन समिति के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी/मंडल (बोर्ड) द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय.

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों की भर्ती मंडल/नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा भेंट करने के पश्चात् की जायेगी.

(तीन) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों की उपरोक्त रिक्तियों की कुछ संख्या तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेश/परिपत्र द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अधिसूचित अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे.

(चार) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 (तीस) प्रतिशत पद आरक्षित किया जायेगा.

(पांच) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जावेगा, जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(छ:) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(सात) (क) उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उस विशेष वर्ष में आरक्षित संवर्ग के रिक्तियों को नहीं भरा जाता है तो आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) किया जाएगा.

(ख) जब रिक्ति उस पश्चातवर्ती वर्ष में [उपरोक्त छ (क) के अनुसार] अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) किया जाता है तो उसे, उस वर्ष के आरक्षित कोटा अनुसूची में नहीं गिना जाएगा.

(आठ) यदि सीधी भर्ती हेतु समस्त आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो उपरोक्त मामले में लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुभव को शिथिल किया सकेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण करना प्रस्तावित है तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिये इसका कारण अभिलिखित करेगी.

17. **चयन सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाये गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शाये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं की जाती है परन्तु यह 18 माह की कालावधि से अधिक नहीं होगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा यदि चयन समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उस क्रम से किया जायेगा जिस क्रम में चयन सूची में ऐसे नाम हों.

परन्तु जब प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो तो व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या तो चयन सूची में आगामी क्रम में नहीं है तो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन माह से अधिक के लिये नहीं है.

19. **सेवा में पदोन्नति पर नियुक्त :—** प्रत्येक अभ्यर्थी, दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा, यदि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का भी है तो परिवीक्षा कालावधि, उस परिवीक्षा कालावधि के बराबर रहेगी.

20. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

22. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में किया गया प्रावधान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर, जारी किए गये निर्देश का, नियम के सहबद्ध विषयों के अनुसरण में अर्थ लगाया जायेगा तथा छत्तीसगढ़ सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) पदों का पुनर्विलोकित वेतनमान पत्रक

स. क्र. (1)	स्वीकृत पद (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (रु.) (5)
1.	**एम. टी.**			
	1. मोटर ट्रांसपोर्ट आफिसर	01	तकनीकी सेवा	4500-125-7000
	2. सहायक उप-निरीक्षक (एम. टी.)	01	तकनीकी सेवा	4000-100-6000
	3. हेड कांस्टेबल (चालक)	06	तकनीकी सेवा	3500-80-4700-100-5200
	4. आरक्षक चालक	37	तकनीकी सेवा	3050-75-3950-80-4590
	5. डिस्पेच रायडर	03	तकनीकी सेवा	3050-75-3950-80-4590
2.	**आरमोरी**			
	1. सहायक उप-निरीक्षक (आर्म्स)	01	तकनीकी सेवा	4000-100-6000
	2. हवलदार (आर्मोरर)	03	तकनीकी सेवा	3500-80-4700-100-5200

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती की प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [देखिए नियम-6 (क)]	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम-6 (ख)]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [देखिए नियम-6 (ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा					
एम. टी.	1. मोटर ट्रांसपोर्ट (एम. टी.)	01	-	100%	-	
	2. सहायक उप-निरीक्षक (एम. टी.)	01	-	100%	-	
	3. हवलदार (एम. टी.)	06	-	100%	-	
	4. आरक्षक चालक (एम. टी.)	34	100%	-	-	
	5. डिस्पेच रायडर (एम. टी.)	03	100%	-	-	
आर्मोरर	1. सहायक उप-निरीक्षक (आर्म्स)	01	90%	100%	यह पद आरक्षक जो विभागीय आर्मोरर कोर्स प्रशिक्षित हो, से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा	
	2. हेडर (आर्मोरर)	02	5% सामान्य अभ्यर्थियों के लिये	100%		

टीप :—प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती की जायेगी.

अनुसूची-तीन
(नियम 6 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु एवं शैक्षणिक अर्हता

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य बातें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा.				चयन समिति
	1. चालक, आरक्षक तथा डिस्पेच रायडर	18	35	आठवीं परीक्षा पास एवं ड्राइविंग लायसेंस होनी चाहिये. नगर सेना सैनिक को कम से कम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करना चाहिये.	1. सीनियर स्टॉफ आफिसर/ संभागीय सेनानी. - अध्यक्ष 2. जूनियर स्टॉफ आफिसर/ जिला सेनानी. - सदस्य 3. मोटर ट्रांसपोर्ट आफिसर/ - सदस्य

टीप :— सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-5-94-1 आ. प्र. दिनांक 24-05-95 के अनुसार एस. सी. /एस. टी. एवं ओ. बी. सी. के प्रतिनिधि चयन समिति में रखे जायेंगे.

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) के पदोन्नति के लिए पदों में न्यूनतम सेवा	चयन के लिये पद्धति या चयनेत्तर पद्धति	विभागीय समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	1. प्लाटून कमाण्डर	निरीक्षक (एम. टी.)	05 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. अति. प्रधान सेनानी 2. एस. एस. ओ. (स्था.) 3. जे. एस. ओ. (स्था.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
	2. सहा. उप-निरीक्षक (एम. टी.)	प्ला. कमाण्डर	05 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. अति. प्रधान सेनानी 2. एस. एस. पी. (स्था.) 3. जे. एस. ओ. (स्था.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
	3. हवलदार (एम. टी.)	ए. एस. आई. (एम. टी.)	03 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. अति. प्रधान सेनानी 2. एस. एस. ओ. (स्था.) 3. जे. एस. ओ. (स्था.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. हेड कांस्टेबल ड्राइवर	प्ला. कमाण्डर (एम. टी.)	08 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. अति. प्रधान सेनानी 2. एस. एस. ओ. (स्था.) 3. जे. एस. ओ. (स्था.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
	5. आरक्षक ड्राइवर, डिस्पेच रायडर	हवलदार (एम. टी.)	07 वर्ष (निर्धारित प्रशिक्षण अभिप्राप्त)	वरिष्ठता सह योग्यता	1. सेनानी/संभागीय सेनानी 2. जे. एस. ओ./जिला सेनानी 3. प्लाटून कमाण्डर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
	6. हवलदार आर्मोरर	ए. एस. आई. (आर्म्स)	07 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. सेनानी/संभागीय सेनानी 2. दो जिला सेनानी	अध्यक्ष सदस्य
	7. भृत्य फालोवर, हवा. अर्दली (विभागीय आर्म्स पाठ्यक्रम से अर्हित) चतुर्थ श्रेणी से.	हवलदार आर्मोरर	07 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. सेनानी/संभागीय सेनानी 2. दो जिला सेनानी	अध्यक्ष सदस्य
	वायरलेस आपरेटर	वायरलेस मैकेनिक	07 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. सेनानी/संभागीय सेनानी 2. दो जिला सेनानी	अध्यक्ष सदस्य
	सहायक फोटोग्राफर	फोटोग्राफर	05 वर्ष	वरिष्ठता सह योग्यता	1. अतिरिक्त प्रधान सेनानी 2. एस. एस. ओ. (स्था.) 3. जे. एस. ओ. (स्था.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

टीप :— नियम 14 (1) के अनुसार चयन समिति के अध्यक्ष को छोड़कर, अन्य सदस्य जिसमें अ. जा./अ. ज. जा. का प्रतिनिधि न हो तो इस मामले में दूसरा सदस्य उनके स्थान पर रखा जायेगा किन्तु पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या, उस सीमा तक बढ़ाई जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

क्रमांक एफ-13-11/गृह/दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Raipur, the 24th January 2009

No. F-13-11/Home/Two/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Services, namely:—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**

(1) These rules shall be called the Chhattisgarh the Home Guards Class III (Technical) Service Recruitment Rules, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the authority who has been delegated by Government with powers for making appointments on that service or post ;

(b) "Committee" means the selection committee constituted as specified in column (6) of Schedule-IV;

(c) "Examination" means competitive examination for recruitment taken under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes, as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India ;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes, as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-xxv-4-84 date 26th December 1984 amended, from time to time ;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Home Guards, Class III (Technical) service ;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application :—** Without prejudice generality to the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Recruitment Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitutions of Service :—** The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding Substantively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of the these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc. :—** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I;

Provided that the Government may from time to time or reduce the number of posts included in the service either in permanent or temprorary basis.

6. **Method of recruitment :—**

(1) Recruitment of the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment through competitive examination;

(b) By promotion to the members of the service as specified in Column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer on substantive appointment of persons as specified in specific service and post.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of Sub-rule (1) shall not at any time exceed the prescribed percentage shown in Schedule-II of the duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined at such occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding any thing contained in Sub Rule (1) if in the opinion of the Government in consent with General Administration Department, the exigencies of services so require, the Government may adopt such methods of recruitment to the service other then those specified in the said rule, as it may be prescribed by order issued in this behalf.

(5) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 shall be in force.

7. **Appointment to the Service :—** The appointment to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made only after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of eligibility of the candidates for direct recruitment :—** In order to be eligible for selection/examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age :—**

(a) He must have attained the age as prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule-III on the first day of January next, following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable to the maximum of 10 years to a woman candidate according to Provisions of Rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for the appointment of women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit may also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant, should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding temporary post and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to work-charged and contingency paid employees and employees working in the Project Implementation Committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant, will be allowed to deduct the period of all temporary services previously rendered by him from his age up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation :—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary service of these State or any of the Constituent units for a continuos period of not less than six months and who has been discharged because of reduction in establishment by not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of applications made otherwise for employment in Government service.

(e) The candidate who is ex-serviceman shall be allowed to deduct permitted to from his age the period of all defence service previously rendered by him.

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :— The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment, not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(i) Ex-serviceman released under mustering out concession

(ii) Ex-serviceman enrolled for second time and discharge on—
(a) Completion of short term engagement ;
or
(b) Fulfilling the conditions of recruitment.

(iii) Officer (military and civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers)·

(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancics.

(v) Ex-serviceman invalidated out of service.

(vi) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient solders.

(vii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun short, wounds etc.

Note : **Under the age relaxation mentioned in Rule 8 (one), (d) (i) and (ii), the candidates who have been found eligible for examination etc., if they resign from the service before or after the selection in examination etc. after sending the application then they shall not be eligible for appointment, however if after sending the application they are retrenched from their service or post then they shall remain eligible for the appointment.**

(f) The upper age limit shall be relaxable up to two years in respect of Green card holder candidates under the family welfare programme ;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme. Chhattisgarh Inter-caste Marriage promotional Scheme for untauchability eradiction Rule, 1984 (Chhattisgarh Asparashyata Nivaran Anterjatiya Vivah Protsahan Yojna Niyam 1984);

(h) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 38 (Thirty Eight) years of age in respect of candidates who are the employee of Chhattisgarh State Corporation/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 (Thirty Eight) years;

(j) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 (Five) years in respect of Shaheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(k) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in Government service, the age limit of 45 (Forty Five) years shall not exceed;

(l) The directions issued by the General Administration Department of Government from time to time also shall also be applicable.

(2) **Educational Qualifications :—** The candidate must posses the requisite educational qualification prescribed for the service, as shown in schedule III.

(3) **Fees :—** The candidate has to pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification :—** Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the committee to disqualify him for selection to the examination.

10. **Appointing Authority's decision about eligiblity of candidates final :—** The decision of the appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final. No candidate will be allowed to appear for examination unless and until he has been given entry certificate by the appointing authority.

11. **Direct Recruitment interview/selection by examination :—**

(1) A Selection for recruitment to the service completion examination will be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine.

(2) On the basis of issue of Notice by the appointing authority the examination will be held by the selection committee.

(3) Available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per Chhattisgarh Public Service Recruitment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 1994.

(a) 30% posts shall be reserved for woman candidate under Chhattisgarh Civil (Special Provision for appointment of Woman Candidates) Rules, 1997.

(4) In filling the vacandies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of this relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the

maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of the experience are not available for filling all the vacancies reserved for then the direct reservation the relaxation can be given by the Public Service Commission/or competent authority in case of the above.

11. (2) **Direct Recruitment through interview :—**

(i) The selection for recruitment will be made from time to time at such intervals as decided by the board/appointing authority in consultation with the selection committee.

(ii) The recruitment of the candidates in the service will be made after personal interview by the board/appointing authority/selection committee.

(iii) For direct recruitment for the above vacancies certain number of posts shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions in Chhattisgarh Public Service reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Act, 1994) and Member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes so Notified from time to time by orders/circulars of State Government of Chhattisgarh.

(iv) 30% (thirty) percent posts shall be reserved for woman candidates as per the provisions of Chhattisgarh Civil (Special Provision for appointment of Women Candidates) Rules, 1997.

(v) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of this relative rank as compared with other candidates.

(vi) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as case may be under sub-rule (3).

(vii) (A) The vacancy for reserved category not filled in a particular year due to non-availability of suitable candidate will be carried forward for future recruitment.

(B) When any vacancy is carried forward { as per vi (A) } above in a subsequent year, it shall not be counter in the scheduled reserved quota of that year.

(viii) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of due experience are not available for filling all the vacancies reserved for them through reservation the relaxation can be given by the Public Service Commission/or competent authority in case of the above.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee :—**

(1) The selection committee shall prepare a list showing the names and other details of the candidates whom it considers more suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who through not qualified by that standard are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, the recommendation of the selection committee shall be submitted for the approval of the appointment authority. The list will be put on the Public Notice Board also.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable and in all respects for appointment to the service.

(4) Character verification will be carried put prior to issue of appointment order.

(5) The selection list issued by appointing authority will be valid for 1 (one) year from the date of issue order.

13. **Probation :—** Candidates selected for recruitment shall be appointed on probation of 2 years.

14. **Appointment by promotion :—**

(1) A committee will be constituted consisting of members mentioned in Scheduled IV for making a selection of eligile candidates for promotion. Excluding the Chairman of the selection committee if any other members who does not represent from Scheduled Castes and Scheduled Tribes then in that case another member, of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be included in this place promotion committee can be extended upto that limit.

(2) The committee shall meet at intervals as and when necessary but exceeding once a year.

(3) For such post (in which promotion exceed by 25% as mentioned) in schedule II then Reservation of promotion will be covered under (Reservation of Promotion and limit of enlarge consideration region) Rule, 1997 will be applicable.

(4) For promotion of reserved vacancy the procedure to be adopted will be as per instructions issued time to time by the General Administration Department.

15. **Condition of Eligiblity for Promotion/Transfer :—**

(1) The committee shall consider the cases of all persons who as the first day of January of that year, have completed the service (whether officiating or substantive) as per sub-rule (2) Col. (4) of Schedule-IV in the post mentioned of the said Schedule or any other post a posts declared equivalent thereto by the Government.

(2) Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Promotion and limit of Enlarge consideration region) Rules, 1997 will be application in case of promotion.

16. **Preparation of List of Suitable Persons :—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in the rule 15 and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover probable vacancies for one year.

(2) The selection list of persons considered fit for promotion in order of seniority for promotion as seniority cum merit basis should be prepared by the committee.

(3) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority. But any junior person considered to possess ex-ceb from all merit and suitability may be placed above the senior person in the list.

Explanation :— Any person brought on the Select list but who could not be promoted during the vailidity period of the list, would not claim seniority over the persons substantially through on the select list on the basis of prior selection in the said list.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any members of the service the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Select List :—**

(1) The list finally approved by appointing authority the shall from the basis for selection list for promotion of the member of service from the part as shown in column (2) of Schedule IV to as shown in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but it shall not exceed period of 18 months:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made or the instance of the Appointing Authority and the Committee may, it is thinks fit, remove the name of such person from select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List :—** Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of service shall follow the order in which the names of such officials appear in the select list :

Provided that, when administrative exigencies, require a person whose name is not included in the selection list or who is not next in order to the selection list may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is now likely to an for more than three months.

19. Each candidate appointed in service on promotion, they shall be appointed on probation for 2 years. If promotion is made from direct recruitment then the probation peroid will be equal to that of probation period.

20. **Interpretation :—** If any question arises relating to the Interpretation of rule, it shall be referred to Government, whose decision shall be final.

21. **Relaxation :—** Nothing in these rules will be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to be just and equitable.

22. **Saving :—** Provision made in these rules for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes & instructions issued from time to time by the State Government will be construed in consonance with the rules of allied matters and will follow the provisions of Chhattisgarh Services (Reservation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

23. **Repeal and Saving :—** All rules correspondence to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so required shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule-5)

Revised Pay-Scale Chart of Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Posts;

S. No. (1)	Sanctioned Post (2)	Number (3)	Classification (4)	Revised Pay Scale (Rs.) (5)
1.	**M. T.**			
	1. Motor Transport Officer	01	Technical Service	4500-125-7000
	2. Assistant Sub-Inspector (M. T.)	01	Technical Service	4000-100-6000
	3. Head Constable (Driver)	06	Technical Service	3500-80-4700-100-5200
	4. Driver Constable	37	Technical Service	3050-75-3950-80-4590
	5. Dispatch Rider	03	Technical Service	3050-75-3950-80-4590
2.	**Armory**			
	1. Assistant Sub-Inspector (Arms)	01	Technical Service	4000-100-6000
	2. Havildar (Armorer)	03	Technical Service	3500-80-4700-100-5200

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Procedure for recruitment

Name of Depart-ment	Name of Service and posts	Total number of posts	Percentage of the No. of posts to be filled in			Remarks
			By Direct recruitment {See rule 6 (a) }	By promotion Substantive members of service {See rule 6(b) }	By temporary transfer of persons of other service {See rule 6 (c) }	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	C. G. Home Guards Class-III (Technical) service.					
M. T.	1. Motor Transport (MT)	01	-	100%	-	-
	2. Assistant Sub-Inspector (MT).	01	-	100%	-	-
	3. Havildar (M. T.)	06	-	100%	-	-
	4. Driver Constable (M. T.)	34	100%	-	-	-
	5. Dispatch Rider (M. T.)	03	100%	-	-	-
Armorer	1. Assistant sub-Imps. (Arms)	01	90%	100%	-	-
	2. Header (Armorer)	02	5% for General Candidate	100%	There posts shall be filled by promotion from the constable who is trained with Armour Course	-

Note :— Direct Recruitment shall be made through Competitive Examination and Interview.

SCHEDULE-III
(See Rule-6)

Age and Educational Qualification for Direct Recruitment

Name of the Department	Name of the Service and posts	Minimum age limit	Upper age limit	Prescribed Educational qualifications	Other matter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Service 1. Driver, Constable and Dispatch Rider	18	35	8th Class passed and must possess Driving License. Home Guards Sainik must have rendered a minimum of 06 years Service.	Selection Committee 1. Senior Staff Officer/ Divisional Commandant. - Chairman 2. Junior Staff Officer/District Commandant. - Member 3. Motor Transport Officer. - Member

Note :— The representative of SC, ST and OBC shall be kept in the Selection Committee as per Memorandum No. F-7-5-94-1 A. P. Dated 24-05-95 of General Administration Department.

SCHEDULE-IV
(See Rule-14)

Name of the Department	Name of the the posts from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Min. Service in the post for promotion of Col. (2)	Procedure for selection or selected procedure	Departmental Committee member	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	1. Platoon Commandar (M. T.)	Inspector (M. T.)	05 Yrs.	Seniority cum Merit	1. Addl. Commandant General. 2. S. S. O. (Estt.) 3. J. S. O. (Estt.)	Chairman Member Member
	2. Asstt. Sub-Inspector (M. T.)	Pl. Commandar	05 Yrs.	Seniority cum Merit	1. Addl. Commandant General. 2. S. S. P. (Estt.) 3. J. S. O. (Estt.)	Chairman Member Member
	3. Havildar (M.T.)	A.S.I. (M.T.)	03 Yrs.	Seniority cum Merit	1. Addl. Commandant General. 2. S. S. O. (Estt.) 3. J. S. O. (Estt.)	Chairman Member Member
	4. Head Constable Driver	Pl. Commandar (M.T.)	08 Yrs.	Seniority cum Merit	1. Addl. Commandant General. 2. S. S. O. (Estt.) 3. J. S. O. (Estt.)	Chairman Member Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	5. Constable Driver, Despatch rider	Havildar (M. T.) Driver	07 Yrs. (Obtaining Prescribed training)	Seniority Cum Merit	1. Comdt./Div. Comdt. 2. JSO/Distt. Comdt. 3. Platoon Comdt.	Chairman Member Member
	6. Havildar Armourer	A.S.I. (Arms)	07 Yrs.	Seniority Cum Merit	1. Comdt./Div. Comdt. 2. Two Distt. Comdt.	Chairman Member
	7. From Class-IV Peon Follower Hav. Orderly (Qualified in Deptt. Arm. Course).	Havildar Armourer	07 Yrs.	Seniority Cum Merit	1. Comdt./Div. Comdt. 2. Two Distt. Comdt.	Chairman Member
	8. Wireless Operator	Wireless Mechanic	07 Yrs.	Seniority Cum Merit	1. Comdt./Div. Comdt. 2. Two Distt. Comdt.	Chairman Member
	9. Assistant Photographer	Photographer	05 Yrs.	Seniority Cum Merit	1. Additional Comdt. General. 2. S.S.O. (Estt.) 3. J.S.O. (Estt.)	Chairman Member Member

Note :—As per rule 14 (1) excluding of the Chairman of the selection committee other members who does not represent from SC/ST them in that case another member will be inductded in place of them but member of promotion committee can extended upto that limit.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर		रजौटी प. ह. नं. 01	1.074	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवर डोड़की व्यपवर्तन योजना शाखा नहर क्र. 2 के चैन क्र. 0 से 41 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी, जिला-जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर		बेलसूंगा प. हं. नं. 2	1.214	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	बेलसूंगा जलाशय योजना के शाखा नहर चैन क्र. 0 से 35 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी, जिला-जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक/2765/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सिरसाही प. ह. नं. 10	1.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक/2766/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	खैरागढ़ सिविल लाईन ब्लाक नं. 1	8070	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड-राजनांदगांव.	खैरागढ़, आवर्धन जल प्रदाय योजना शुद्ध जल शोधन संयंत्र का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक/1388/भू-अर्जन/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	गीदम	फरसपाल	3.19	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	फरसपाल तालाब हेतु नहर/नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक 312/क/वा./भू. अ./अविअ/प्र. क्र. 14/अ 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	परसट्ठी प. ह. नं. 136/15	373	0.59	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नया रायपुर में सड़क के विकास हेतु.
			374	0.05		
			375	0.22		
			398/1	0.03		
			398/2	0.12		
			399/1	0.71		
			399/2	0.04		
			400/1	0.28		
			400/2	0.05		
			400/3	0.01		
			401	0.30		
			405	0.08		
			406	0.04		
			426/ 400/1	0.51		
			426/400/2	0.02		
		योग	**15**	**3.05**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2009

प्रकरण क्र. 1/अ 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-घुठेली, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.97 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
15	0.15
16/1	0.50
16/2	0.92
34/1	1.00
34/2	0.48
35/1	0.46
35/2	0.80
36	0.90
37	1.47
64	1.14
65	0.85
66	1.52
67	0.97
68/1	0.82
68/2	0.70
68/3	0.50
69	1.06
119, 120	0.66
130	0.59
139	0.77
145	0.16
150	1.18
757	0.47
758	0.52
759/2	0.38
योग	18.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेरवा जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 1 अप्रैल, 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बनियागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348	0.12

	(1)	(2)
	339/1	0.07
योग		0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बनियागांव उद्‌वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 अप्रैल, 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बनियागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	637	0.07
योग		0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बनियागांव उद्‌वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 अप्रैल, 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-घाटकवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	821	0.020
	835	0.077
	843	0.340
योग		0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- टिकरालोंहगा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 अप्रैल, 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-बस्तर
 (ग) नगर/ग्राम-टिकरालोंहगा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.252 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376	0.121
377	0.021
382	0.085
383	0.025
योग	0.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- टिकरालोंहगा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी

धमतरी, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक क/स्था. निर्वा./न. नि. निर्वा./2009/2085.—श्री तोरण सिन्हा पिता घनश्याम सिन्हा, पार्षद, नगर पंचायत, मगरलोड के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप पार्षद पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है.

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा 2 के अंतर्गत श्री तोरण सिन्हा पिता घनश्याम सिन्हा, पार्षद, नगर पंचायत, मगरलोड का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) एवं सहायक आयुक्त आबकारी रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक/आब./बकाया/2008/3630.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में

विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
रा. मा. क्र. 1/बी-96/ 95-96	मेसर्स अशोका ट्रेडर्स भागीदार (1) श्री गुलशन अनेजा वल्द ओम प्रकाश अनेजा साकिन पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग. (2) श्री विशम्भरनाथ वल्द अमोलक राय, निवासी समता कॉलोनी, रायपुर. (3) श्री कंवलजीत वल्द ओम प्रकाश, निवासी समता कालोनी, रायपुर. (4) श्री किशोर सिंग वल्द लक्ष्मण सिंग, दुर्ग (छ. ग.) (5) श्री कुलभूषण अरोरा, वल्द ओम प्रकाश अरोरा, रायपुर. (6) बलवंत राय वल्द रूपचंद, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) (7) विनय कुमार वल्द चिमन लाल, जिला दुर्ग (छ. ग.)	विदेशी मदिरा दुकान गोलबाजार	1991-92	3,10,448/-

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2008/113.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
1.	3/बी/96 2002-03	श्री विरेन्द्र सिंह वल्द प्रीतम सिंह ठाकुर निवासी-चिंचोला, राजनांदगांव.	पी. एस. 2 गोलबाजार, रायपुर	2002-2003	8,80,000/-

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/748.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	7/बी 96/ 03-04	श्री अमित छाबड़ा, वल्द हेमराज छाबड़ा निवासी-ए. सी. सी. रावणभाठा, जामुल नगर, दुर्ग.	विदेशी मदिरा दुकान टिकरापारा	2002 - 2003	47,21,489/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	16/बी 96/ 03-04	श्री रामजनम पाण्डेय वल्द रामनंदन पाण्डेय, निवासी-जमातपारा (कवर्धा), कबीरधाम (छ. ग.)	विदेशी मदिरा दुकान सिमगा	2002 - 2003	8,19,202/-
3.	05/बी 96/ 03-04	श्री रोहित मारकण्डेय वल्द सेवकराम मारकण्डेय, निवासी-ग्राम सिर्री.	विदेशी मदिरा दुकान. स्टेशन रोड	2002 - 2003	8,73,157/-

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/784.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा. मा. क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
1.	14/बी/96 2003-04	श्री सुदर्शन साहू वल्द भुनेश्वर साहू निवासी-निहारिका टाकीज के पास, कोरबा	विदेशी मदिरा दुकान नवापारा	2002 - 2003	18,54,133/-

वाय. मेश्राम,
अति. तहसीलदार (आबकारी) एवं
सहायक आयुक्त.